<u>राजस्थान सरकार</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 94/2021
दायर दिनांक : 15-02-2021

उनवान

1. भीमा पिता देवानाथ जाति कालबेलियॉ निवासी भारजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ।

——**प्रार्थीगण**

बनाम

1. हेमा पिता बालू रेगर निवासी भारजीकाखेडा तहसील माण्डलगढ़।
2. काना पिता रामा भील निवासी झांझोला तहसील माण्डलगढ़।
3. लाला पिता रामा भील निवसी झांझोला तहसील माण्डलगढ़।
4. देवा पिता रामा भील निवासी झांझोला तहसील माण्डलगढ़।
5. प्रकाश पिता रामा भील निवासी झांझोला तहसील माण्डलगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

——**अप्रार्थीगण**

उपस्थित :—

1. श्री राधेश्याम शर्मा (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

—: आदेश :—

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 07.07.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खाते की ग्राम भारजीकाखेड़ा पटवार हल्का झांझोला की सरहद में स्थित खाता संख्या 38 की आराजी संख्या 222/20 कुल किता 1 रकबा 1.6187 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2076-79 के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमी

की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भारजीकाखेड़ा पटवार हल्का झांझोला की सरहद में स्थित खाता संख्या 38 की आराजी संख्या 222/20 कुल किता 1 रकबा 1.6187 बीघा भूमि बशामलात पडौसीयान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 500/–** रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़